न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

फौजदारी प्रार्थना पत्र संख्या-23/2023 राजूराम मेघवाल v/s सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
05/09/2023		

प्रार्थी की ओर से वकील श्री मधुर सिखवाल एवं अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी व रसद विभाग की ओर से श्री रामावतार पुनिया उपस्थित।

विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 457 Crpc पर बहस में यह कथन किया कि प्रार्थी वाहन पंजीयन संख्या Rj–21 GC 4821 का चालक हैं तथा उक्त वाहन एवं उसमें भरा प्रार्थी के स्वामित्व का माल 1995 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय प्लास्टिक की दो टंकिया,एक मैन्यूअल पम्प मय10 फुट लम्बा प्लास्टिक पाईप,प्लास्टिक की पिम्पी वर्तमान प्रकरण में पुलिस थाना,खींवसर द्वारा जब्त किया हुआ हैं। उपरोक्त माल प्रार्थी का स्वयं की मालिकाना का हैं। प्रार्थी के विरूद्व यह एकदम झूठा प्रकरण बनाकर पेश किया गया हैं,जबकि प्रार्थी का माल विधिक प्रकिया के तहत मंगवाया हुआ हैं। प्रार्थी,अप्रार्थी को एवं पुलिस थाने में अपने बिल की प्रति सुपुर्द करने के लिए बार–बार गया हैं ,परन्तु उन्होंने प्रार्थी के दस्तावेज लेने से मना कर दिया तथा प्रार्थी के विरूद्व यह जबरदस्ती प्रकरण बनाया गया हैं।

विद्वान वकील प्रार्थी का यह भी तर्क हैं कि उक्त माल पुलिस थाना,खींवसर में देखरेख के अभाव में पड़ा–पड़ा खराब व क्षीर्ण हो रहा,जबकि प्रार्थी को उक्त माल की नितान्त आवश्यकता रहती हैं। पुलिस थाना,खींवसर में इस माल की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं हैं। प्रार्थी उक्त 1995 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय प्लास्टिक की दो टंकिया, एक मैन्यूअल पम्प मय 10 फुट लम्बा प्लास्टिक पाईप,प्लास्टिक की पिम्पी की जमानत राशि जमा करवाने के लिए तैयार हैं,इसलिए उपरोक्त सामान को सुपूर्दगीनामा व जमानतनामा पर सुपूर्द करने का आदेश प्रदान किया जावें।

अप्रार्थी की ओर से बहस में यह कथन किया गया कि वाहन पिकअप पंजीयन संख्या आरजे 21 जीसी 4821 रसद विभाग द्वारा जब्त किया गया हैं,जो वर्तमान में पुलिस थाना खींवसर की सुपुर्दगी में दिया हुआ हैं प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस,खींवसर की रिपोर्ट दिनांक 05.09.2023 के अनुसार प्रकरण में पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन में जब्त वाहन पिकअप आरजे 21 जीसी 4821 के वाहन स्वामी से अनुसंधान करना शेष हैं। जब्तशुदा वाहन पर एक–एक हजार लीटर की दो प्लास्टिक की टंकियां लगी हुई हैं,जिनमें कुल 1995 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ हैं। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मय दो प्लास्टिक की टंकिया मय 1995 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ,एक मैनयूअल पम्प मय दस फीट लम्बा प्लास्टिक पाईप एवं पुलिस टीम द्वारा खरीदा 5 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत राजसात करने हेतु रसद मामला संख्या 22/2022 सरकार बनाम शैतानराम वगैरह न्यायालय हाजा में विचाराधीन हैं,इसलिए उक्त माल को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर छोड़ा जाना कतई उचित नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा पेश किया गया यह आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी खारिज फरमाया जावें।

P.T.O.

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
फौजदारी प्रार्थना पत्र संख्या–23/2023 रामूराम मेघवाल V/S सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
05.09.2023 (लगातार)	वकुलाय की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण रिकार्ड एवं पुलिस केश डायरी का अवलोकन गया। प्रकरण में थानाधिकारी,पुलिस थाना,खींवसर की रिपोर्ट दिनांक 05.09.2023 के अनुसार प्रकरण में जब्त सुदा वाहन पिकअप रजि0नं0 आरजे 21 जीसी 4821 के वाहन स्वामी से अनुसंधान करना शेष हैं। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप पंजीयन संख्या आजे 21 जीसी 4821 पर एक–एक हजार लीटर की दो प्लास्टिक की टंकिया लगी हुई हैं,जिनमें कुल 1995 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ हैं। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप पंजीयन संख्या आरजे 21 जीसी 4821 मय दो प्लास्टिक की टंकिया मय 1995 लीटर पेट्रलियम पदार्थ,एक मैन्यूअल पम्प मय दस फीट लम्बा प्लास्टिक पाईप एवं पुलिस टीम द्वारा खरीदा गया 5 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के राजसात करने हेतु रसद मामला संख्या 22/2022 सरकार बनाम शैतानराम वगैरह न्यायालय हाजा में विचाराधीन हैं। इस प्रकार उक्तानुसार तथ्यों से थानाधिकारी द्वारा प्रकरण में अनुसंधान अभी बाकी हैं तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के प्रकरण के विचाराधीन रहते हुऐ भी जब्त सुदा माल को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर छोड़ा जाना उचित नहीं हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.08.23 अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता हैं। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पुलिस केश डायरी संबंधित को लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर यह पत्रावली रसद मामला संख्या 22/2022 के साथ नत्थी हो। (डॉ0 अमित यादव) जिला कलक्टर,नागौर कलक्टर नागौर	